न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 249 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 397)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. करण बजाज पुत्र श्री मिलखी उर्फ मिलखराज निवासी वार्ड नम्बर 12, अरोड़ा मोहल्लां, अरायण, तहसील श्रीकरणपुर।		1. मिलखी उर्फ मिलखराज पुत्र मंहगा राम निवासी अरायण, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. गीतू पत्नी श्री मिलखी उर्फ मिलखराज निवासी अरायण, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. अनमोल बजाज पुत्र मिलखी उर्फ मिलखराज निवासी अरायण, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 20.12.2024

उपस्थितः 1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादी
2. श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

––निर्णय–– **दिनांकः 22.01.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 30 एफ, पटवार मण्डल अरायण की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 9, 52, 68, 69, 70, 112, 130 में प्रतिवादी संख्या 1 मिलखी उर्फ मिलखराज पुत्र मंहगा राम के नाम से कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। प्रतिवादी संख्या 1, वादी, प्रतिवादी संख्या 3 का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का पति है। प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 के साथ पृथक निवास करता है तथा प्रतिवादी संख्या 3, वादी भी पृथक-पृथक निवासरत है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के मध्य आपसी मतभेद हो जाने के कारण, उनके द्वारा वर्ष 2022 में मौखिक परिवारिक बंटवारा सहमति से किया हुआ है। बंटवारानामा अनुसार वादी के पास चक 30 एफ, पटवार मण्डल अरायण की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 9, 52, 69, 70, 112, 130 में प्रतिवादी संख्या 1 मिलखी उर्फ मिलखराज पुत्र मंहगा राम के नाम की भूमि कब्जा काश्त में है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पास चक 30 एफ के खाता संख्या 68/69 में कुल 1.5560 है0 भूमि का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 3 को अन्य से सम्पति की व्यवस्था की हुयी है, जिस पर वह काबिज है। वादी एवं प्रतिवादीगण तथा उनके परिवार में प्रेम स्नेह पूर्व की भांति नहीं रहा है। अक्सर छोटी छोटी बातो को लेकर, वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक मतभेद भी पैदा हो चुके है। मौखिक परिवारिक बंटवारा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण काबिज अवश्य है, लेकिन सम्पति का अंकन उसके अनुसार नहीं होने के कारण वादी को कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार मौखिक आग्रह किया गया, लेकिन पारिवारिक मतभेद होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1 आनाकानी करता आ रहा है और प्रतिवादी संख्या 1 आज कल का कहकर, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। इसलिए वादी ने आज से एक माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 को मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में पुनः आग्रह किया कि वह सहमति से सम्पति का राजस्व अभिलेख में अंकन वादी के नाम से करवा देवे, तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इंकार हो गया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 30 एफ, पटवार मण्डल अरायण की चालू जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 9, 52, 69, 70, 112, 130 में प्रतिवादी संख्या 1 मिलखी उर्फ मिलखराज पुत्र मंहगा राम के नाम दर्ज भूमि का वादी को मौखिक पारिवारिक बंटवारा के अनुसार खातेदार घोषित किया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

1, 2, 3 की ओर से जवाबदावा पेश किया। नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। सामिल मिसल किया गया। वादी करण बजाज व प्रतिवादीगण मिलखी उर्फ मिलखराज, गीतू, अनमोल बजाज के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर समझौतानामा पेश किया। समझौतानामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा समझौतानामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। समझौतानामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा समझौतानामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद विन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के जवाबदावा एवं समझौतानामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 9, 52, 69, 70, 112, 130 में मिलखी उर्फ मिलखराज पुत्र मंहगा राम उर्फ मेघा राम के नाम दर्ज 9.8635 हैक्टेयर भूमि का वादी करण बजाज पुत्र मिलखी उर्फ मिलखराज को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे इजलास में सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

करण बजाज बनाम मिलखी उर्फ मिलखराज आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए

मुकदमा नम्बर **249/2024**

निर्णय दिनांक :- 22.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष जांगिड, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित होने** पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 9, 52, 69, 70, 112, 130 में मिलखी उर्फ मिलखराज पुत्र मंहगा राम उर्फ मेघा राम के नाम दर्ज 9.8635 हैक्टेयर भूमि का वादी करण बजाज पुत्र मिलखी उर्फ मिलखराज को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 22.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	1500	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1504**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

दिनांकः 22.01.2025

क्रमांकः रीडर/2025/41

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर